रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-17022022-233559 CG-DL-E-17022022-233559

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 92<sub>]</sub> No. 92<sub>]</sub>

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 16, 2022/माघ 27, 1943 NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 16, 2022/MAGHA 27, 1943

# इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

# अधिसूचना

नई दिल्ली , 8 फ़रवरी, 2022

एफ. सं. एचआरएमडी/एसयूपी/177/01/2021-22 (ई) .—बैंकिंग कंपनी अधिनियम (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण), 1970 (1970 की धारा 5) की धारा 19 जिसे धारा 12 की उप धारा (2) के साथ पढ़ा जाएगा में प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए इण्डियन ओवरसीज़ बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ परामर्श करके और पूर्व की केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त संस्तुति के साथ इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 में एतद्वारा संसोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम करता है, अर्थात

- 1. (I) इन विनियमों को इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2021 कहा जा सकता है।
  - (2) इन्हें नवंबर 2012 के पहले दिन से प्रभावी माना जाएगा, बशर्ते कि विनियमों में यदि अन्य प्रकार से प्रदत्त है और इन विनियमों में वर्णितानुसार सुरक्षित है।
- 2. इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 (इसके पश्चात कथित विनियम कहा जाएगा) के विनियम 3 के उपबंध (एफ) के अनुसार, उपबंध (एफ) के स्थान पर निम्नलिखित उपबंध को स्थापन्न किया जाएगा, -

'(एफ) "परिवार" यानि अधिकारी का/की पति/पत्नी, पूर्णत: आश्रित अविवाहित बच्चे (सौतेले बच्चे अथवा विधिक रूप से अपनाए गए बच्चे समेत), शारीरिक व मानसिक रूप से 40% या अधिक दिव्यांग भाई व बहन, विधवा बेटियां और आश्रित तलाकशुदा या अलग बेटियां, अविवाहित या तलाकशुदा या परित्यक्त या पति से अलग या विधवा बहनें और पूरी तरह से अधिकारी पर निर्भर माता-पिता और विवाहित महिला अधिकारी के मामले में उसके प्राकृतिक माता-पिता या सास-ससुर शामिल हो सकते हैं, लेकिन दोनों नहीं।

 $1120 \, \text{GI}/2022$  (1)

व्याख्या - "पूर्ण रूप से आश्रित" का अर्थ परिवार के ऐसे सदस्य से होगा जिसकी आय 10,000 प्रति माह से अधिक नहीं है और जहां परिवार के पूर्ण रूप से आश्रित सदस्य माता-पिता हैं, किसी भी माता-पिता की आय या माता-पिता दोनों की कुल आय यदि 10,000 रुपये प्रति माह से अधिक है, तो दोनों माता-पिता को पूरी तरह से अधिकारी पर निर्भर नहीं माना जाएगा।

- 3. उक्त विनियमों के विनियम 4 में, उप विनियम (6) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियमों को सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात-
  - "(6) 1 नवंबर, 2012 से प्रभावी, प्रत्येक संवर्ग के लिए वेतनमान निम्नानुसार होंगे:
  - (क) उच्च कार्यपालक संवर्ग

स्केल VII = रु. 76520 – 2120/4 – 85000 स्केल VI = रु. 68680 – 1960/4 – 76520

(ख) वरिष्ठ प्रबन्धन संवर्ग

स्केल V = रु. 59170- 1650/2-62470 - 1800/2 - 66070 स्केल IV = रु. 50030-1460/4-55870- 1650/2 -59170

(ग) मध्यम प्रबन्धन संवर्ग

स्केल III = रु. 42020 - 1310/5 - 48570 - 1460/2 - 51490 स्केल II = रु. 31705 - 1 145/1 - 32850 - 1310/10 – 45950

(घ) कनिष्ठ प्रबन्धन संवर्ग

स्केल I = 23700- 980/7- 30560- 1145/2- 32850- 1310/7-42020

स्पष्टीकरण: प्रत्येक अधिकारी जो भी 31 अक्तूबर 2012 को लागू वेतन मान से संचालित होते हैं उन्हें इस उप विनियम के तहत बनाए गए वेतनमान में 1 नवंबर 2012 तक चरणबद्ध रूप से फिट किया जाएगा यानि कि प्रथम चरण से लेकर उत्तरवर्ती चरणों में सम्बद्ध वेतनमान के अनुसार और वेतन वृद्धि सामान्यरूप से सालगिरह की तिथि से लागू होगी यदि किसी और प्रकार से प्रावधान नहीं किया गया है तो।

- (7) इन संवर्गों में कार्यरत अधिकारियों हेतु उप विनियम (1), (2), (3), (4), (5) व (6) में वर्णित कुछ भी बैंक के लिए हमेशा करने योग्य नहीं समझा जाएगा।
- (8) 1 नवंबर, 2012 से अधिकारियों को निम्नानुसार विशेष भत्ता दिया जाएगा:

स्केल I-III = लागू महंगाई भत्ते सहित मूल वेतन का 7.75%

स्केल IV-V = लागू महंगाई भत्ते सहित मूल वेतन का 10%

स्केल VI-VII = लागू महंगाई भत्ते सहित मूल वेतन का 11%

बशर्ते कि इस उप-विनियम की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि बैंक को हर समय इन सभी ग्रेडों में सेवारत अधिकारियों की आवश्यकता है।

नोट : उप-विनियम (8) में निर्दिष्ट विशेष भत्ता, उस पर लागू महंगाई भत्ते सहित सेवानिवृत्ति लाभों , जैसे कि नई पेंशन योजना, भविष्य निधि और ग्रेच्युटी सहित पेंशन के लिए नहीं माना जाएगा ।

- 4. कथित विनियम के विनियम 5 के अनुसार,-
  - (i) उप विनियम (1) के लिए निम्नलिखित उप विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा,
    - क) "(1) 1 नवंबर 2012 को और से विनियम 4 के उप विनियम (6) के प्रावधानों की शर्त पर, वेतनवृद्धि को निम्नलिखित शर्तों के पूर्ण होने पर मंजूर किया जाएगा, अर्थात:-

- ख) विनियम 4 के उप-विनियम (6) में तय वेतनमान में विनिर्दिष्ट वेतन वृद्धि, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी की शर्त पर, वार्षिक आधार पर होगी और जिस माह में यह बकाया होगी उस माह के पहले दिन प्रदान की जाएगी।
- ग) संबंधित स्केल में अधिकतम वेतनमान पर पहुंचने के एक वर्ष के बाद स्केल । व स्केल ॥ के अधिकारियों को अवरुद्ध वेतनवृद्धि सहित अन्य वेतन वृद्धि प्रदान की जाएगी जैसा कि नीचे (सी) में निर्दिष्ट है, बशर्ते कि वे दक्षता बार को प्राप्त करते हों:
- घ) किनष्ठ प्रबन्धन संवर्ग स्केल I के जो अधिकारी उच्चतम स्केल में अधिकतम तक पहुंचने के बाद मध्यम प्रबन्धन संवर्ग स्केल II में चले गए हैं वे सेवा के प्रत्येक तीन वर्ष पूरा करने पर चार निश्चलता वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे जिनमें से पहले दो ₹1310/- के होंगे और अगले दो ₹1460/- के होंगे।
- ङ) मध्य प्रबंधन ग्रेड स्केल II के अधिकारी जो खंड (बी) के अनुसार अधिकतम उच्च वेतनमान तक पहुंचने के बाद मध्य प्रबंधन ग्रेड स्केल III में पहुंच गए हों, वे सेवा के प्रत्येक तीन पूर्ण वर्षों के लिए ₹1460/- की तीन अवरुद्ध वेतन वृद्धि और तीसरी ठहराव वृद्धि की प्राप्ति के दो वर्ष बाद ₹1460/- की चौथी अवरुद्ध वेतन वृद्धि के लिए पात्र होंगे।
  - बशर्ते कि जिन अधिकारियों ने तीसरी अवरुद्ध वेतन वृद्धि की प्राप्ति के बाद दो वर्ष या उससे अधिक की अविध पूरी कर ली है, उन्हें 1 मई, 2015 से चौथी अवरुद्ध वेतनवृद्धि प्रदान की जाएगी;
- च) मध्य प्रबंधन ग्रेड स्केल III में कार्यरत अधिकारी (जो मध्य प्रबंधन ग्रेड स्केल III में भर्ती या पदोन्नत हुए हैं) प्रत्येक तीन पूर्ण वर्षों की सेवा के लिए ₹1460/- की तीन अवरुद्ध वेतन वृद्धि और ₹1460 की चौथी अवरुद्ध वेतन वृद्धि के लिए पात्र होंगे। /- 1 मई 2015 को तीसरी अवरुद्ध वेतन वृद्धि जारी करने के बाद दो साल या उससे अधिक पूरा करने वाले अधिकारियों को 1 मई 2015 से पांचवीं अवरुद्ध वेतनवृद्धि प्रदान की जाएगी बशर्ते कि उन अधिकारियों ने चौथी अवरुद्ध वेतन वृद्धि प्राप्ति के बाद दो साल पूरे कर लिए हों।
- छ) वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल- IV के अधिकारी 1 मई 2015 से अधिकतम वेतनमान पर पहुंचने के बाद तीन वर्ष के लिए ₹1650/- की एक अवरुद्ध वेतन वृद्धि के पात्र होंगे।
  - बशर्ते कि ऐसी वेतन वृद्धि की अनुमति किसी ऐसे अधिकारी को नहीं दी जाएगी जो पेशकश किए जाने पर पदोन्नति से इंकार कर देता है।

स्पष्टीकरण - इस उप-विनियम के तहत अगले उच्च वेतनमान में इस तरह की वेतन वृद्धि को पदोन्नति के रूप में नहीं माना जाएगा और अधिकारियों के विशेषाधिकार, अनुलाभ, कर्तव्य और जिम्मेदारियां उनके मूल पदों के रूप में जारी रहेंगी।

- (ii) उप विनियम (2) के उपबंध (एफ) के पश्चात स्पष्टीकरण में, और नोट के पूर्व, निम्नलिखित उपबंध को शामिल किया जाएगा, अर्थात :-
  - "(ज) "1 नवंबर 2012 से और उसके बाद, अन्य बातें समान रहेंगी, पेशेवर अर्हता वेतन की प्रमात्रा निम्नानुसार संशोधत होगी:-

### टेबल

| (1)  | (2)   |
|--|---|
| जिन्होंने जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ<br>बैंकर्स या सर्टिफाएड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ<br>बैंकर्स पास किया है। — भाग I | (i) स्केल के अधिकतम पहुंचने पर एक वर्ष पर रु 670<br>प्रति माह   |
| जिन्होंने सर्टिफाएड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टिट्यूट<br>ऑफ बैंकर्स का दोनों भाग पास किया है।  | (i) स्केल के अधिकतम पहुंचने पर एक वर्ष पर रु<br>670 प्रति माह   |
|  | (ii) स्केल के अधिकतम पहुंचने पर एक वर्ष पर रु<br>1680 प्रति माह |

यह प्रावधान किया जाता है कि कोई अधिकारी वेतनमान के अधिकतम पहुंचने के बाद जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकर्स या सर्टिफाएड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकर्स (कोई एक या दोनों भाग) अर्हता प्राप्त करता है तो उसे ऐसी अर्हता प्राप्त करने की तिथि से पेशेवर अर्हता की पहली किश्त प्रदान की जाएगी और उसके बाद की किश्तों के प्रवाह के लिए पेशेवर अर्हता वेतन की पहली किश्त दिए जाने की तिथि को संदर्भ के तौर पर लिया जाएगा:

(iii) उपबंध (3) में खंड (ई) के नीचे दिए गए टेबल के बाद निम्नलिखित उपबंध को प्रतिस्थापित किया जाएगा, इनमें :-"(एफ) 1 नवंबर 2012 से या उसके बाद से, अन्य सभी बातें समान रहते हुए, विनिर्दिष्ट निजी वेतन के साथ आवास किराया भत्ता निम्नलिखित दर पर दिया जाएगा और यह पूरी सेवा अवधि के दौरान समान ही रहेगा:-

# टेबल

| वेतनवृद्धि घटक (रु) | वेतनवृद्धि घटकों पर 1.11.2012 को<br>लागू महंगाई भत्ता (रु.) | जहां बैंक द्वारा रिहाईश उपलब्ध कराया जाता<br>है वहां देय कुल निश्चित निजी वेतन (रु.) |
|---------------------|---|--|
| (1)                 | (2)   | (3)  |
| 1310                | 143   | 1453   |
| 1460                | 159   | 1619   |
| 1650                | 180   | 1830   |
| 1800                | 196   | 1996   |
| 1960                | 214   | 2174   |
| 2120                | 231   | 2351   |

# नोट:

- (i) टेबल के कॉलम (3) के उपबंध (बी), (सी), (डी), (ई) व (एफ) के अतंर्गत वर्णितानुसार विनिर्दिष्ट निजी भत्ता या विनिर्दिष्ट निजी वेतन उन अधिकारियों को देय होगा जिन्हें बैंक की ओर से आवास उपलब्ध कराया गया है।
- (ii) जो अधिकारी आवास किराया भत्ते के लिए पात्र होंगे उनके लिए विनिर्दिष्ट निजी भत्ता या विनिर्दिष्ट निजी वेतन, सम्बन्धित अधिकारी द्वारा उठाए जा रहे आवास किराया भत्ता जो उसे विनियम 4 के उप-विनियम (2), (3), (4), (5) व (6) में निर्दिष्ट समुचित वेतनमान के अंतिम वेतनवृद्धि के समय प्राप्त हो रहे होंगे और टेबल के कॉलम (1) व (2) में उपबंध (एफ) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कुल राशि होगी।"
- (iii) केवल वही अधिकारी जो 1 नवंबर, 1993 को या उससे पहले बैंक की सेवा में थे, वे अधिकतम वेतनमान पर पहुंचने के एक वर्ष बाद विनिर्दिष्ट निजी वेतन के लिए पात्र होंगे।
- (iv) 1 नवंबर, 1999 से, विनिर्दिष्ट निजी वेतन जारी होने के कारण उप-विनियम (2) के स्पष्टीकरण (सी) के अनुसार व्यावसायिक योग्यता वेतन जारी करने की समय-सारणी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बशर्ते कि जहां व्यावसायिक योग्यता वेतन की कोई किस्त, जो पहले के प्रावधानों के कारण एक वर्ष के लिए आगे बढ़ा दी गई है और 1 नवंबर, 1999 को या उसके बाद जारी करने के लिए निर्धारित है, वह इस तारीख को जारी की जाएगी और व्यावसायिक योग्यता वेतन की दूसरी किस्त ,यदि कोई हो, 1 नवंबर, 2000 से
- (v) स्थिर निजी भत्ते /स्थिर निजी वेतन का वृद्धि घटक सेवानिवृत्ति लाभों में शामिल होगा।

अधिकारी को प्रदान की जाएगी।

(vi) एक अधिकारी जिसने उपरोक्त खंड (ए) के अनुसार अग्रिम वेतन वृद्धि अर्जित की है, उसे स्केल के लिए अधिकतम वेतनमान तक पहुंचने के एक वर्ष बाद उपरोक्त (बी), (सी), (डी), (ई) या (एफ) में उल्लिखित विनिर्दिष्ट निजी वेतन /स्थिर निजी वेतन की मात्रा प्राप्त होगी।

- 5. कथित विनियमों के विनियम 21 में उप-विनियम (5) के पश्चात निम्नलिखित उप-विनियम को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात:-
  - "(6) नंवबर 2012 के पहले दिन से या उसके बाद, महंगाई भत्ता 4440 अंक में प्रत्येक चार अंक की कटौती या बढ़ोतरी पर ऑल इंडिया एवरेज वर्किंग क्लास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (सामान्य) बेस 1960=100 के तिमाही औसत का, वेतनमान के 0.10% की दर से देय होगा।

स्पष्टीकरण:-इस उप-विनियम के उद्देश्य हेतु,-

- (ए) महंगाई भत्ते के संदर्भ में "वेतन" का अर्थ होगा अवरुद्ध वेतनवृद्धि और विशेष भत्ता सहित मूल वेतनमान;
- (बी) विनियम 5 के उप-विनियम (2) के स्पष्टीकरण (सी), (डी), (ई), (एफ) व (जी) में विनिर्दिष्ट अनुसार पेशेवर अर्हता भत्ता अथवा पेशेवर अर्हता वेतन, महंगाई भत्ते में शामिल होगा।
- 6. कथित विनियमों के विनियम 22 में-
  - (i) उप-विनियम (1) को निम्नलिखित से विस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-
    - "(1) नवंबर 2012 की पहली तिथि से और उसके बाद,
    - (ए) जहां किसी भी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई गई है, उससे जिस वेतनमान में हो उसके पहले चरण में मूल वेतन का 0.75% के बराबर की राशि अथवा आवास के लिए मानक किराया, इनमें से जो भी कम हो, वसूला जाएगा;
    - (बी) जहां कहीं भी किसी अधिकारी को यदि बैंक की ओर से रहने की सुविधा नहीं उपलब्ध कराई गई है वो अधिकारी निम्नलिखित टेबल में विनिर्दिष्टानुसार आवास किराया भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र होगा, अर्थात:

# टेबल

| जहां कहीं कार्यस्थल इस प्रकार हो   | देय एचआरए होगा    |
|--|-------------------|
| (1)  | (2)               |
| (i) प्रमुख "ए" वर्ग के शहर और समूह ए के एरिया केंद्र                           | वेतन का 9.0%      |
| (ii) एरिया 1 के अन्य शहर एवं समूह बी के प्रोजेक्ट एरिया केंद्र<br>व गोवा राज्य | -<br>वेतन का 8.0% |
| (iii) अन्य स्थान   | वेतन का 7.0%      |

यह भी प्रावधान किया जाता है कि यदि कोई अधिकारी किराया रसीद प्रस्तुत करता है तो, उसको देय आवास किराया भत्ता उसके घर के वास्तविक किराए के बराबर होगा जो कि जिस वेतनान में वो है उसके प्रथम चरण के वेतन के 0.75% के साथ टेबल के कॉलम (2) में प्रदत्त के अनुसार आवास किराया भत्ता का 150% देय होगा।

नोट:- अधिकारियों के मकान किराया भत्ते के दावे उनके स्वामित्व आवास की लागत से जुड़े हुए हैं, वे भी अब तक की तरह मकान किराया भत्ते के 150 प्रतिशत तक सीमित रहेंगे।

- 7. कथित विनियमन के 23 विनियम में ,-
  - (ए) उप-विनियमन (I), (2),(3), (4) और (5) के लिए निम्न उप-विनियमनों को प्रतिस्थापित किये जायेंगे
    - "(I) 1 नवंबर, 2012 को और उसके बाद से, यदि कोई अधिकारी नीचे दी गई तालिका के कॉलम (1) में उल्लिखित स्थान पर सेवा कर रहा है, तो उस स्थान के खिलाफ उसके कॉलम (2) में उल्लिखित दर पर एक शहर प्रतिपूरक भत्ता देय होगा: -

|     | स्थान   | दर   |
|-----|---|--|
|     | (1)   | (2)  |
| i)  | एरिया 1 के शहर व गोवा राज्य   | मूल वेतन का 4% अधिकतम रु870 प्रति माह        |
| ii) | पांच लाख और उससे अधिक की आबादी वाले स्थान और<br>राज्य की राजधानियां और चंडीगढ़, पुदुचेरी और पोर्ट<br>ब्लेयर | मूल वेतन का 3% अधिकतम रु.600 प्रति<br>माह "; |

- (2) 1 नवंबर, 2012 से, विशेष क्षेत्र भत्तों की दरें इन विनियमों की अनुसूची में निर्दिष्ट के अनुसार होंगी।
- (3) 1 नवम्बर 2012 को और उस दिन से यदि अधिकारी ऐसे क्षेत्र में कार्य कर रहा है जो वर्ग क या वर्ग ख के तहत आने वाले परियोजना क्षेत्र को रूप में विनिर्दिष्ट है तो वह ग्रुप क या ग्रुप ख क्षेत्र के वर्गीकरण के अनुसार रू 400 प्रतिमाह या रू 350 प्रतिमाह की दर से परियोजना क्षेत्र क्षतिपूर्ति भत्ते के लिए पात्र होगा।
- (4) 1 जून 2015 को और उस दिन से यदि कोई अधिकारी शैक्षिक वर्ष के मध्य में एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित किया जाता है और यदि उसकों एक या अधिक बच्चे पहले वाले स्थान में स्थित स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो वह अपने सभी बच्चों के लिए दूसरे स्थान पर रिपोर्ट करने की तिथि से शैक्षिक वर्ष की समाप्ति तक प्रतिमाह रू 1100 के मध्य शैक्षिक वर्ष स्थानांतरण भत्ते के लिए पात्र होगा, बशर्ते यदि पहले स्थान पर पढ़ने वाले उसके सभी बच्चे यदि पढ़ाई छोड़ देते हैं तो ऐसा भत्ता देय नहीं होगा।
- (5) 1 जून 2015 को और उस दिन से यदि कोई अधिकारी बैंक से बाहर सेवा हेतु प्रतिनियुक्त किया जाता है तो वह उस पद से जुड़े वेतन लाभ को प्राप्त कर सकता है जिसके लिए उसे प्रतिनियुक्त किया गया है या अपनी वेतन के अतिरिक्त वह वेतन के 7.75 प्रतिशत की दर से प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त कर सकता है बशर्ते कि यह भत्ता प्रतिमाह रू 4000 से अधिक न हो । इसके अलावा वह ऐसे अन्य भत्ते भी पा सकता है जो उसको उस स्थान पर बैंक की सेवा में नियुक्त करने पर मिलते हैं ।

उसे अपने वेतन के 4 प्रतिशत के समतुल्य प्रतिनियुक्त भत्ता प्राप्त होगा जो रू 2000 प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा बशर्ते कि उसे ऐसे संगठन में प्रतिनियुक्त किया गया है जो उसी स्थान पर है जहाँ उसे प्रतिनियुक्ति से तुरंत पहले नियुक्त किया गया था।

बशर्ते कि यदि किसी अधिकारी को बैंक के प्रशिक्षण प्रतिष्ठान में संकाय सदस्य के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है तो वह अपने वेतनमान के 4 प्रतिशत की दर से प्रतिनियुक्त भक्ते के लिए पात्र होगा जो रू 2000 प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा।

- (B) उप-विनियम (8) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा- "(8) 1 नवंबर 2012 को और उस दिन से यदि कार्य समय को 2 घंटों के न्यूनतम विराम सिहत विभाजित किया जाता है तो संबंधित अधिकारी को रू200 प्रतिमाह की दर से विभाजित कार्य भत्ता मिलेगा।
- (C) उप विनियम (10) में,-
  - क) "नवम्बर 2007 का पहले दिन" के आकड़ों,अक्षरों और शब्दों के स्थान पर "नवम्बर 2012 का पहले दिन" के आकड़ों,अक्षरों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए;
  - ख) टेबल के लिए निम्न टेबल को प्रतिस्थापित किया जाए, जो इस प्रकार हैं:-

# "टेबल

| स्थान   | दर   |
|---|--|
| (1)   | (2)  |
| 1) 1000 मीटर और उससे अधिक की ऊँचाई और 1500 मीटर से कम<br>वाले स्थान तथा मर्कारा शहर | 2% of pay subject to a maximum<br>of Rs.750 per month वेतन का 2%<br>अधिकतम रूपये 750 प्रति माह में |
| 2) 1500 मीटर और उससे अधिक की ऊँचाई और 3000 मीटर से कम<br>वाले स्थान                 | वेतन का 2.5% अधिकतम रूपये 1000<br>प्रति माह में  |
| 3) 1500 मीटर और उससे अधिक की ऊँचाई वाले स्थान                                       | वेतन का 5% अधिकतम रूपये 2000<br>प्रति माह में  |

- 8. उक्त विनियम के विनियम 24 में. -
  - (i) उप विनियम (1) में, निम्नलिखित उप नियम प्रतिस्थापित की जाएगी:
    - "(1) 01 नवम्बर 2007 के पहले दिन से,एक अधिकारी स्वयं और अपने परिवार के लिए चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होगा, जो इस तरह के व्यय के लिए अधिकारियों द्वारा खातों के विवरण से समर्थित राशि के प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट निम्न तालिका में विशेष रूप से दी गई है"

### टेबल

| ग्रेड                                  | प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा                           |
|--|--|
| (1)                                    | (2)  |
| कनिष्ठ प्रबंधन और मध्यम प्रबंधन ग्रेड  | रु.8000/- प्रति वर्ष या खर्च की गयी राशि जो भी कम हो |
| वरिष्ठ प्रबंधन और उच्च कार्यपालक ग्रेड | रु.9050/- प्रति वर्ष या खर्च की गयी राशि जो भी कम हो |

- नोट: (1) किसी भी अधिकारी को अप्रयुक्त चिकित्सा सहायता संचित करने की अनुमित दी जा सकती है जब ऊपर दी गई अधिकतम राशि किसी भी समय तीन गुना से ज्यादा ना हो या
  - (2) वर्ष 2012 के लिए, चिकित्सा सहायता योजना के तहत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति दो महीने के लिए आनुपातिक रूप से बढ़ाई जाएगी, अर्थात नवम्बर 2012 और दिसम्बर 2012 के लिए ।
  - (1ए) अधिकारी बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार अपने और अपने परिवार के लिए चिकित्सा बीमा सुविधा के लिए पात्र होंगे ।
- 9. उक्त विनियम के विनियम 25 में, उप-विनियम (2) में, धारा (ए) के लिए, निम्न उप-विनियम प्रतिस्थापित की जाएगी यथा:
  - "(2) उप-विनियम (1) में मौजूद किसी भी विषयवस्तु के बावजूद, बैंक के पास यह विकल्प खुला है कि वे बैंक के अधिकारियों को आवासीय व्यवस्था उनके द्वारा भुगतान करने पर नवम्बर 2012 की पहली तारीख से उपलब्ध कराएं,जिस वेतनमान पर वह पदास्थापित है उस
  - स्तर के मूल वेतन में से 0.75 प्रतिशत के बराबर या आवास के लिए मानक किराया जो भी कम हो:

यह कि इस तरह के निवास पर फर्नीचर आदि अधिकारी को प्रदान किए जाएं, जिस वेतनमान पर वह कार्यरत है उसके पहले चरण में मूल वेतन के 0.15% के बराबर की राशि बैंक द्वारा वसूल की जाएगी।

आगे यह भी बताया जा रहा है कि जब भी इस तरह के आवास बैंक द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं तो बिजली,पानी,गैस और सफाई आदि के प्रभार का वहन अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

- 10. उक्त विनियमों के विनियम 33 में, उप-विनियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-
  - "(4) 1 जून, 2015 को और उसके बाद से, विशेषाधिकार अवकाश दो सौ सत्तर दिनों से अधिक नहीं जमा किया जा सकता है, सिवाय इसके कि छुट्टी के लिए आवेदन किया गया है और इसे अस्वीकार कर दिया गया है।

बशर्ते कि विशेषाधिकार अवकाश का नकदीकरण अधिकतम दो सौ चालीस दिनों की सीमा तक सीमित होगा।

परन्तु यह भी कि विशेषाधिकार अवकाश लेने के इच्छुक अधिकारी को सामान्यतया ऐसी छुट्टी का लाभ उठाने की तिथि के कम से कम पंद्रह दिन पहले सूचना देनी होगी।"

- 11. उक्त विनियमों के विनियम 34 में, उप-विनियम (3) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम सम्मिलित किए जाएंगे, अर्थात्:-
  - "(4) 1 जून, 2015 को और उसके बाद से, एक अधिकारी कर्मचारी को किडनी या अंग दान के लिए उसकी पूरी सेवा अवधि के दौरान एक बार तीस दिनों तक की विशेष बीमारी की छुट्टी दी जा सकती है।"
- 12. उक्त विनियमों के विनियम 36 में, उप-विनियम (2) और (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
  - "(2) 25 मई 2015 से, निःसंतान महिला अधिकारी को एक वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेने के लिए सेवा के दौरान एक बार छुट्टी भी दी जा सकती है, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन अधिकतम छह महीने की अविध के लिए है। शर्तें: -
    - (i) केवल एक बच्चे को गोद लेने के लिए छुट्टी दी जाएगी।
    - (ii) बच्चे को गोद लेना एक उचित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से होगा और अधिकारी ऐसी छुट्टी मंजूर करने के लिए बैंक को दत्तक ग्रहण विलेख प्रस्तुत करना होगा ।
    - (iii) छुट्टी, जैविक माता को उन मामलों में भी उपलब्ध होगी जहां बच्चे का जन्म सरोगेसी के माध्यम से हुआ हो; तथा
    - (iv) छुट्टी, सेवा की पूरी अवधि के दौरान बारह महीने की समग्र पात्रता के भीतर ली जाएगी।"
  - (3) मई 2015 के 25 वें दिन से, बारह महीने की कुल अवधि के भीतर, हिस्टेरेक्टॉमी के मामले में अधिकतम साठ दिनों तक की छुट्टी भी दी जा सकती है।
  - (4) मातृत्व अवकाश, जो मूल वेतन पर होगा, एक महिला अधिकारी को किसी एक अवसर पर छह महीने और उसके पुरे सेवा की अवधि के दौरान बारह महीने से अधिक की अवधि के लिए नहीं दिया जाएगा ।

बशर्ते कि बारह महीने की कुल अवधि के भीतर स्वतः हुए गर्भपात या गर्भपात या गर्भावस्था की चिकित्सकीय समाप्ति के मामले में भी छुट्टी दी जा सकती है ।

(5) 1 जून 2015 से पुरुष अधिकारी, जिनके दो जीवित बच्चे हैं, अपनी पत्नी की गर्भावस्था के दौरान पंद्रह दिनों के पितृत्व अवकाश के लिए पात्र होंगे, जिसे आकस्मिक अवकाश को छोड़कर किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है।

बशर्ते कि छुट्टी बच्चे के जन्म की तारीख से पंद्रह दिन पहले या छह छह माह तक ली जाएगी।"

- 13. उक्त विनियमों के विनियम 38 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा,अर्थात्:-
  - "(38). छुट्टी का समाप्त होना नीचे दिए गए प्रावधान के अलावा, किसी अधिकारी के खाते में जमा सभी छुट्टी इस्तीफे, सेवानिवृत्ति, मृत्यु, निर्वहन, बर्खास्तगी या सेवा की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगी:

बशर्ते कि जहां कोई अधिकारी बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त होता है, वह किसी भी अवधि की परिलब्धियों के बराबर राशि का भुगतान करने का पात्र होगा, जो उसके द्वारा जमा की गई दो सौ चालीस दिनों के विशेषाधिकार अवकाश से अधिक नहीं होगा।

परंतु यह और कि जहां एक अधिकारी को दंड स्वरूप अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया है, वह किसी भी अविध के परिलब्धियों के बराबर राशि का भुगतान करने का पात्र होगा, जो उसके द्वारा जमा की गई दो सौ चालीस दिनों के विशेषाधिकार अवकाश से अधिक नहीं होगा।

बशर्ते यह भी कि जहां एक अधिकारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है। उसके कानूनी प्रतिनिधियों को उसकी मृत्यु की तारीख को उसके खाते में दो सौ चालीस दिनों के विशेषाधिकार अवकाश के बराबर की राशि देय होगी।

बशर्ते यह भी कि जहां एक अधिकारी 1 अप्रैल, 2001 को या उसके बाद विनियम 20 के उप-विनियम (2) के अनुसार उचित नोटिस देने के बाद सेवा से इस्तीफा दे देता है, उसे विशेषाधिकार अवकाश के संबंध में परिलब्धियों के बराबर राशि का भुगतान किया जा सकता है। सेवा समाप्ति की तारीख को ऐसी छुट्टी का आधा उसके खाते में जमा हो जाएगा, जो अधिकतम एक सौ बीस दिनों के अधीन होगा।"

# 14. उक्त विनियमों के विनियम 41 में, -

- (i) उप-विनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
  - "(1) नवंबर 2012 के पहले दिन से, जहां कहीं भी एक अधिकारी को ड्यूटी पर यात्रा करने की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे, अर्थातु: -
  - (ए) किनष्ठ प्रबंधन ग्रेड में एक अधिकारी ट्रेन से प्रथम श्रेणी या एसी 2-टियर स्लीपर से यात्रा करने का हकदार है: बशर्ते कि वह हवाई (इकोनॉमी क्लास) से यात्रा कर सकता है, यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यवसाय या सार्वजनिक हित की अत्यावश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनुमित दी गई हो;
  - (बी) मध्य प्रबंधन ग्रेड में एक अधिकारी ट्रेन से प्रथम श्रेणी या एसी 2-टियर स्लीपर से यात्रा करने का हकदार है: बशर्ते कि वह हवाई (इकोनॉमी क्लास) से यात्रा कर सकता है यदि यात्रा की जाने वाली दूरी 1000 किलोमीटर से अधिक है:
  - बशर्ते कि वह कम दूरी के लिए भी हवाई (इकोनॉमी क्लास) से यात्रा कर सकता है, यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक हित के व्यवसाय की अत्यावश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसा करने की अनुमति दी गई हो;
  - (सी) वरिष्ठ प्रबंधन या शीर्ष कार्यकारी ग्रेड में एक अधिकारी ट्रेन या हवाई (इकोनॉमी क्लास) द्वारा एसी प्रथम श्रेणी से यात्रा करने का हकदार है:
  - (डी) वरिष्ठ प्रबंधन या शीर्ष कार्यकारी ग्रेड में अधिकारी ऐसे स्थानों के बीच कार से यात्रा कर सकता है जो हवाई या रेल मार्ग से जुड़े नहीं हैं बशर्ते कि दूरी 500 किलोमीटर से अधिक न हो:
  - बशर्ते कि जब दो स्थानों के बीच की दूरी का एक बड़ा हिस्सा हवाई या रेल द्वारा कवर किया जा सकता है, तो बाकी की दूरी सामान्य रूप से कार द्वारा तय की जानी चाहिए;
  - (ई) किसी अन्य अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यवसाय की अत्यावश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपने वाहन या टैक्सी या बैंक वाहन से यात्रा करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है;
  - (च) किसी भी ग्रेड या स्केल का अधिकारी सड़क या हवाई या रेल से नहीं जुड़े स्थानों के बीच डीलक्स केबिन श्रेणी में जल परिवहन द्वारा यात्रा करने के लिए पात्र होगा।";
- (iii) उप-विनियम (4) में, खंड (ए) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -
  - "(ए) जून, 2015 के पहले दिन से, नीचे दी गई तालिका के कॉलम (1) में निर्धारित ग्रेड या स्केल में एक अधिकारी निर्धारित दरों पर 'प्रति दिन' पड़ाव भत्ते का हकदार होगा। उसके स्तंभ (2), अर्थात:-

# टेबल

| अधिकारियों का ग्रेड/ स्केल          | मैट्रो (रु.) | 'ए' वर्ग के प्रमुख शहर | क्षेत्र -1 (रु.) | अन्य स्थान (रु.) |
|-------------------------------------|--------------|------------------------|------------------|------------------|
|                                     |              | (₹.)                   |                  |                  |
| (1)                                 |              |                        | (2)              |                  |
| स्केल VI एवं उससे ऊपर के<br>अधिकारी | 1800         | 1300                   | 1100             | 950              |
| स्केल IV एवं V से ऊपर के<br>अधिकारी | 1500         | 1300                   | 1100             | 950              |
| स्केल I/II/III के अधिकारी           | 1300         | 1100                   | 950              | 800              |

बशर्ते कि जहां अनुपस्थिति की कुल अवधि आठ घंटे से कम लेकिन चार घंटे से अधिक हो, वहां उपरोक्त दरों की आधी दर पर पड़ाव भत्ता देय होगा ।

स्पष्टीकरण- पड़ाव भत्ते की गणना के प्रयोजनों के लिए, "प्रति दिन" का अर्थ चौबीस घंटे की प्रत्येक अवधि या उसके बाद के किसी भी भाग से होगा, जिसे हवाई यात्रा के मामले में प्रस्थान के लिए रिपोर्टिंग समय और प्रस्थान के निर्धारित समय से माना जाता है। अन्य मामलों में, आगमन के वास्तविक समय तक और जहां अनुपस्थिति की कुल अवधि चौबीस घंटे से कम है, "प्रति दिन" का अर्थ कम से कम आठ घंटे की अवधि होगा।'

- 15. उक्त विनियमों के विनियम 42 में, उप-विनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
- "(3) जून 2015 के पहले दिन से, स्थानांतरण पर एक अधिकारी पैकिंग, स्थानीय परिवहन, सामान का बीमा, आदि से जुड़े खर्चों के लिए एकमुश्त राशि निकालने के लिए पात्र होगा, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट है, अर्थात्:-

# टेबल

| / स्केल एक मुश्त रकम  |               |
|---|---------------|
| (1)   | (2)           |
| शीर्ष प्रबंधन एवं वरिष्ठ प्रबंधन (स्केल IV एवं उससे ऊपर के अधिकारी) | ₹.20,000/-    |
| मध्य प्रबंधन एवं कनिष्ठ प्रबंधन (स्केल III तक के अधिकारी)           | रु. 15,000/-" |

- 16. उक्त विनियमों के विनियम 44 में, उप-विनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
  - "(3) चार साल के प्रत्येक ब्लॉक के दौरान, एक अधिकारी दो साल के प्रत्येक ब्लॉक में एक बार अपने निवास स्थान की यात्रा के लिए छुट्टी यात्रा रियायत के लिए पात्र होगा ।

बशर्ते, वह दो साल के एक ब्लॉक में अपने निवास स्थान तक और दो साल के दूसरे ब्लॉक में भारत में किसी भी स्थान पर सबसे छोटे रास्ते से यात्रा कर सकता है।

बशर्ते कि 1 जून 2015 से, वैकल्पिक रूप से, एक अधिकारी, चार साल के ब्लॉक या दो साल के ब्लॉक, जैसा भी मामला हो, के दौरान किसी भी समय एक विकल्प का प्रयोग करके, अपने एलटीसी को आत्मसमर्पण और नकदीकरण कर सकता है (अधिवास के स्थान की यात्रा के अलावा) जिस पर वह ट्रेन से यात्रा की श्रेणी के लिए पात्र किराए के बराबर राशि प्राप्त करने का हकदार होगा, जिसके लिए वह जेएमजी-स्केल- I और एमएमजी- II और III में अधिकारियों के लिए 4500 किलोमीटर (एक तरफ) की दूरी तक, एसएमजी-स्केल IV और उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए 5500 किलोमीटर (एक तरफ) की यात्रा का हकदार है।

बशर्ते कि 1 जून 2015 से, अपने एलटीसी को भुनाने का विकल्प चुनने वाला अधिकारी ब्लॉक या अविध के दौरान केवल एक बार अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए दावा करेगा जिसमें इस तरह के नकदीकरण का लाभ उठाया गया है और लाभ लेते समय विशेषाधिकार अवकाश के नकदीकरण की सुविधा प्राप्त है। छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा का नकदीकरण करते हुए अवकाश किराया रियायत भी उपलब्ध है।

जैसा कि बोर्ड द्वारा समय-समय पर तय किया जाएगा (3A) जिस तरीके और वर्ग द्वारा एक अधिकारी छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठा सकता है, वह वही होगा जो अधिकारी आमतौर पर स्थानांतरण पर यात्रा करने का हकदार होता है और अन्य नियम और शर्तें जिसके अधीन एक अधिकारी द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाया जा सकता है।

बशर्ते कि 1 मई 2010 से प्रभावी एलटीसी का लाभ उठाते हुए जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल I में एक अधिकारी सबसे कम किराया इकोनॉमी क्लास में हवाई यात्रा करने का हकदार होगा, इस मामले में प्रतिपूर्ति वास्तविक किराया या ट्रेन द्वारा एसी प्रथम श्रेणी के किराए पर लागू किराया होगा। जहां दूरी 1000 किलोमीटर से कम हो यात्रा की गई दूरी पर वही नियम लागू होंगे जो मध्य प्रबंधन ग्रेड स्केल II और मध्य प्रबंधन ग्रेड स्केल III में एक अधिकारी छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाते समय प्राप्त होते हैं।

उक्त विनियमों की टेबल के स्थान पर निम्नलिखित टेबल को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

# "टेबल [विनियम 23(2) देखें]

1 नवंबर, 2012 के प्रभाव से, एक अधिकारी विशेष क्षेत्र भत्ते के लिए तब तक पात्र होगा जब तक कि उन्हें नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट पूर्ण या आंशिक रूप से वापस या संशोधित नहीं किया जाता है, अर्थात्: -

|                |   | भत्ते (₹) |           |
|----------------|---|-----------|-----------|
| क्रम<br>संख्या | क्षेत्र   | ₹24,000/- | ₹24,000/- |
|                |   | से कम     | से अधिक   |
| (1)            | (2)   | (3)       | (4)       |
| 1.             | मिज़ोरम   |           |           |
|                | क) मिजोरम के चिम्पतुइपुई जिले और लुंगलई जिले के लुंगलई शहर के आस<br>पास 25 किमी का क्षेत्र। | 2000      | 2600      |
|                | ख) पुरे लुंगलई जिले में मिजोरम के लुंगलई शहर से 25 किमी का क्षेत्र को<br>छोड़ कर ।          | 1600      | 2100      |
|                | ग) सम्पूर्ण आइजॉल जिले में  | 1200      | 1500      |
| 2.             | नागालैंड  | 1600      | 2100      |
| 3.             | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह   |           |           |
|                | क) उत्तर निकोबार,मध्य अंडमान, छोटा अंडमान, निकोबार और नार्कोडम<br>द्वीप समूह                | 2000      | 2600      |
|                | (ख) दक्षिणी अंडमान (पोर्ट ब्लेयर सहित)  | 1600      | 2100      |
| 4.             | सिक्किम   | 2000      | 2600      |
| 5.             | लक्ष्यद्वीप द्वीप समूह  | 2000      | 2600      |

|                |  | भत्ते (₹) |           |  |
|----------------|--|-----------|-----------|--|
| क्रम<br>संख्या | क्षेत्र  | ₹24,000/- | ₹24,000/- |  |
|                |  | से कम     | से अधिक   |  |
| (1)            | (2)  | (3)       | (4)       |  |
| 6.             | असम  | 320       | 400       |  |
| 7.             | मेघालय   | 320       | 400       |  |
| 8.             | त्रिपुरा   |           |           |  |
|                | (क) त्रिपुरा के कठिन क्षेत्र   | 1600      | 2100      |  |
|                | (ख) त्रिपुरा के कठिन क्षेत्रों के अलावा पूरे त्रिपुरा में                                  | 1200      | 1500      |  |
| 9.             | मणिपुर   | 1200      | 1500      |  |
| 10.            | अरुणाचल प्रदेश   |           |           |  |
|                | (क) अरुणाचल प्रदेश के कठिन क्षेत्र   | 2000      | 2600      |  |
|                | (a) अरुणाचल प्रदेश के कठिन क्षेत्रों के अलावा पूरे अरुणाचल प्रदेश में                      | 1600      | 2100      |  |
| 11.            | जम्मू एवं कश्मीर   |           |           |  |
|                | (1) कठुआ जिला :  | 2000      | 2600      |  |
|                | निबात बानी, लोही, मलहार और मच्चोडी   |           |           |  |
|                | (2) ऊधमपुर जिला :  |           |           |  |
|                | (क) डुडु बसंतगढ़,लांडर भमग इलाका, भाग 2(बी) में शामिल के<br>अलावा अन्य सभी                 | 2000      | 2600      |  |
|                | (ख) कंबन तरफ से गोयल तक के क्षेत्र और तहसील मोड़ में केसरी की<br>तरफ से अरनस तक के क्षेत्र | 1600      | 2100      |  |
|                | (ग) दोड़ा जिला :   |           |           |  |
|                | किश्तवार तहसील में नियत नौगाम और पैडर के इलाका   | 2000      | 2600      |  |
|                | 4. लेह जिला :  |           |           |  |
|                | जिले के सभी स्थान  | 2000      | 2600      |  |
|                | 5. बरमूला जिला   |           |           |  |
|                | (अ) कुल गुरेज़ निराबत,टांगडर उप- डिवीज़न और केरन इलाक्या                                   | 2000      | 2600      |  |
|                | (आ) मैचिल  | 1600      | 2100      |  |
|                | 6. पुच्छ और रजौरी जिला: :  |           |           |  |
| L              |  |           | l .       |  |

|                |  | भत्ते (₹) |           |
|----------------|--|-----------|-----------|
| क्रम<br>संख्या | क्षेत्र  | ₹24,000/- | ₹24,000/- |
|                |  | से कम     | से अधिक   |
| (1)            | (2)  | (3)       | (4)       |
|                | पूंछ और रजौरी जिला के शहर और इन दोनों जिलों सुंदरबनी तथा अन्य<br>शहरी क्षेत्र को छोड़ कर पूंछ और रजौरी जिला  | 1200      | 1500      |
|                | 7. उपर्युक्त मद सं A से F तक में शामिल ना होने वाले, किंतु वास्तविक<br>नियत्रंण लाइन से 8 कि.मी दूरी के तहत या राज्य सरकार के अपने<br>स्टाफ सदस्यों द्वारा समय समय पर बोर्डर भत्ता हेतु जाने जाने वाले<br>या घोषित हुए स्थान | 1200      | 1500      |
| 12.            | हिमाचल प्रदेश  |           |           |
|                | (1) चंबा जिला<br>(अ) पंगी तहसील,भारमोर तहसील, पंचायत: बडगॉव ,बाजोल,देयोल<br>कुग्टी, नयागाम और टुंडाह,ग्राम: ग्राम पंचायत जगत के घोटु,ग्राम<br>पंचायत चौहता की कनारसी   | 2000      | 2600      |
|                | (आ) भारमोर तहसील,उपर्युक्त (अ) में शामिल ग्राम और पंचायत के<br>अतिरिक्त  | 1600      | 2100      |
|                | (इ) भाटियात तहसील में झांडरू पंचायत,चौराह तहसील, डलहौजी<br>शहर(बानीखेत सहित)   | 1200      | 1500      |
|                | (2) किन्नुर जिला:<br>(अ) असरंग,चिटकुल और हांगो कुनो/ चरंग पंचायत,नाथपा और रूपी. पुह<br>उप डिवीज़न,उपर्युक्त उल्लेखित पंचायत क्षेत्र के अतिरिक्त छोटा कांबा<br>की ग्राम पंचायत का 15/20 क्षेत्र                               | 2000      | 2600      |
|                | (आ) उपर्युक्त में (अ) शामिल क्षेत्र को छोडकर पूरा जिला   | 1600      | 2100      |
|                | (3) कुल्लू जिला :<br>(क) खर्गा, कुशवर और सर्गा की ग्राम पंचायत की तुलना में निर्मंद<br>तहसील क्षेत्र का 15/20  | 2000      | 2600      |
|                | (ख) बाहरी सरज़(निर्मन्द तहसील और जगत-खाना के ग्रामों के अतिरिक्त) और 15/20 परगना और बाहरी सेराज क्षेत्र को छोड़<br>कर पूरा जिला परंतु निर्मन्द तहसील के बुरो और जगत -खाना के<br>ग्रामों सहित।                                | 1200      | 1500      |
|                | (4) लाहौल और सिप्ती जिला:  |           |           |
|                | लाहौल और सिप्ती का पूरा क्षेत्र  | 2000      | 2600      |
|                | (5) शिमला जिला:<br>(अ) छदी-ब्रान्दा,सरपरा,लबाना-सदाना और कूट की पंचायत की तुलना में पूरे<br>रामपुर तहसील का 15/20 क्षेत्र  | 2000      | 2600      |

|                |   | भत्ते (₹) |           |
|----------------|---|-----------|-----------|
| क्रम<br>संख्या | क्षेत्र   | ₹24,000/- | ₹24,000/- |
|                |   | से कम     | से अधिक   |
| (1)            | (2)   | (3)       | (4)       |
|                | (आ) डोरा-कवर तहसील,रामपुर में डरकिल के ग्राम पंचायत, सरहान परगना<br>के घोरी चैबिस,मुनिश और काशापत तहसील   | 1600      | 2100      |
|                | (इ) सरहान परगना के तीन कोटी, और नुबिश, पतस्नौ,पंजगाँव,घोरिश और<br>चोपल तहसील, तक्लेश क्षेत्र के पंचायत ग्राम द्योति, परगना<br>बाराबीस,रामपुर तहसील के रामपुर और परगना की और गोरी नॉग,<br>कस्बा रामपुर, शिमला शहर और उसके उपनगर (धल्ली, जदोग,<br>कसुम्पती, माशोब्रा तारादेवी और टुटु)  | 1200      | 1500      |
|                | (6) कांगड़ा जिला:   |           |           |
|                | (अ) बारा भंगल के क्षेत्र और छोटा भंगल   | 1600      | 2100      |
|                | (आ) कांगड़ा जिले का धरमशाला शहर और नगर निगम के बाहर स्थित निम्न कार्यालय लेकिन धरमशाला शहर में शामिल है- महिला आईटीआई, डारी, मकैनिकल वर्कसॉप, रामनगर, बाल कल्याण तथा शहर एवं देश परियोजना कार्यालय, सकोह, नीची सकोह में सीआरपीएफ कार्यालय, कांगड़ा दुग्ध आपूर्ति योजना, दुगैर, एचआरटीसी कार्यशाला, सदेर, आंचलिक मलेरिया कार्यालय, डारी, वन निगम कार्यालय, शामनगर, चाय फैक्ट्री, डारी, आई.पी.एच. उपमंडल, डैन, निपटान कार्यालय, शामनगर, हिंवा परियोजना, शामनगर।  कांगड़ा जिले के पालमपुर शहर सहित पालमपुर के एचपीकेवीवी कैंम्पस, और इसके नगर निगम सीमा के बाहर स्थित निम्न कार्यालय परंतु पालमपुर शहर में शामिल है -एच.पी. कृषि विश्वविद्यालय कैंपस, पशुपालन विकास कार्यालय/जर्सी फार्म, बनुरी, सेरीकल्चर कार्यालय/ इंडो-जर्मन कृषि कार्यशाला/ एचपीपीड्ब्लुडी डिवीजन, बुण्डला, विद्युत उप मण्डल, लोहना, डी.पी.ओ निगम, बुंडला, विद्युत एचईएसईई मण्डल, घुग्गर | 1200      | 1500      |
|                | (7) मंडी जिला:  जोगिन्दरनगर तहसील की छुहर घाटी, बागरा के तहसील थुनाग में पंचायत, चत्री, छोटधर, गरगुसैन , गाटू, गर्यास, झंजेहली, जरयार, जोहर, कलहानी, कल्वन, खोलनल, लोथ, सिलिबागी, सोमचन, थाचधर, ताची, थाना, भींग – ब्लॉक धरमपुर की पंचायतें, क्मलाह,सकलाना, तन्यर और तारखोला, करसोग तहसील की पंचायत- बालिधर, बागरा, गोपालपुर, खजोल, महोग, मेहुदी, मंज, पेखी, सैंज, सरहान और तेबान, सुंदरनगर तहसील की पंचायतें- बोही, बटवारा, धनयारा , पौराकोठी, सेरी और सोजा।   | 1200      | 1500      |
|                | (8) सिरमौर जिला:<br>बानी की पंचायतें, बखाली (पच्चड तहसील), भरोग भेनेरी (पोंटा तहसील)<br>बिरला (नहन तहसील) दिब्बेर (पच्चड तहसील) और थाना कसोगा (नाहन<br>तहसील) और थंनस्गिरी  | 1200      | 1500      |

|                |   | भत्ते     | (₹)       |
|----------------|---|-----------|-----------|
| क्रम<br>संख्या | क्षेत्र   | ₹24,000/- | ₹24,000/- |
|                |   | से कम     | से अधिक   |
| (1)            | (2)   | (3)       | (4)       |
|                | (9) सोलन जिला :   |           |           |
|                | मंगल पंचायत   | 1200      | 1500      |
|                | (10) उपर्युक्त (1) से (ब) में शामिल ना होने वाले हिमाचल प्रदेश के बचे                               |           |           |
|                | हुए क्षेत्र   | 320       | 400       |
| 13.            | उत्तर प्रदेश  |           |           |
|                | चंपावट जिलें और रूद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तर काशी के<br>अंतर्गत आने वाले क्षेत्र | 2000      | 2600      |
| 14.            | उत्तराखंड:  |           |           |
|                | चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चंपावत जिलों के अंतर्गत आने<br>वाले क्षेत्र             | 2000      | 2600      |

आर. के. प्रधान, महा प्रबन्धक

[विज्ञापन-III/4/असा./646/2021-22]

नोट: संशोधन विनियम भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में निम्नलिखित अधिसूचनाओं के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे, अर्थात्:

| क्रम सं | अधिसूचना क्रमांक | दिनांक     | राजपत्र में प्रकाशन की तिथि | ओएसआर में<br>अंकित तिथि |
|---------|------------------|------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1       | 31/एसयूपी/97     | 12.01.1988 | 13.02.1988                  | 12.01.1988              |
| 2       | 31/एसयूपी/861    | 07.05.1988 | 28.05.1988                  | 07.05.1988              |
| 3       | 31/एसयूपी/2139   | 29.07.1988 | 22.10.1988                  | 29.09.1988              |
| 4       | पीएडी/177/3/88   | 09.12.1989 | 30.12.1989                  | 09.12.1989              |
| 5       | पीएडी/177/1/89   | 09.12.1989 | 30.12.1989                  | 09.12.1989              |
| 6       | पीएडी/177        | 05.03.1994 | 09.04.1994                  | 05.03.1994              |
| 7       | पीएडी/177        | 21.07.1995 | 28.10.1995                  | 21.07.1995              |
| 8       | पीएडी/177        | 17.08.1996 | 09.11.1996                  | 17.08.1996              |
| 9       | पीएडी/177        | 19.11.1996 | 07.12.1996                  | 19.11.1996              |
| 10      | पीएडी/177        | 12.05.1999 | 12.06.1999                  | 12.05.1999              |

| 11 | पीएडी/एसयूपी/177        | 09.09.1999 | 09.10.1999<br>16.10.1999 | 14.10.1999 |
|----|-------------------------|------------|--------------------------|------------|
| 12 | पीएडी/एसयूपी/177        | 22.05.2000 | 17.06.2000               | 17.06.2000 |
| 13 | पीएडी/एसयूपी/177        | 28.08.2001 | 08.09.2001               | 08.09.2001 |
| 14 | पीएडी/एसयूपी/177        | 29.11.2002 | 21.12.2002               | 21.12.2002 |
| 15 | पीएडी/एसयूपी/177/49     | 10.05.2006 | 08.06.2006               | 08.06.2006 |
| 16 | पीएडी/एसयूपी/177        | 25.03.2008 | 05.04.2008               | 05.04.2008 |
| 17 | एचआरएमडी/एसयूपी/177/001 | 28.03.2019 | 08.02.2021               | 28.03.2019 |
| 18 | एचआरएमडी/एसयूपी/177/002 | 28.03.2019 | 08.02.2021               | 28.03.2019 |

### INDIAN OVERSEAS BANK

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th February, 2022

- **F. No. HRMD/SUP/177/01/2021-22** (E).—In exercise of the powers conferred by section 19, read with subsection (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the Indian Overseas Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Overseas Bank (Officers') Service Regulations, 1979, namely:-
- 1. (l) These regulations may be called the Indian Overseas Bank (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2021.
  - (2) Save as provided in these regulations, they shall be deemed to have come into force with effect from the 1<sup>st</sup> day of November, 2012.
- 2. In the Indian Overseas Bank (Officers') Service Regulations, 1979 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 3, for clause (f), the following clause shall be substituted, namely:-
  - '(f) "family" means the spouse of the officer, wholly dependent unmarried children (including step children and legally adopted children), wholly dependent physically and mentally challenged brother or sister with forty per cent or more disability, widowed daughters and dependent divorced or separated daughters, sisters including unmarried or divorced or abandoned or separated from husband or widowed sisters and parents wholly dependent on the officer and in the case of a married female officer may include her natural parents or parents-in-law, but not both.
  - **Explanation.** "wholly dependent" shall mean such member of the family having an income not exceeding 10,000 per month and where the wholly dependent family members are parents, the income of any parent or aggregate income of both parents if exceeds Rs 10,000 per month, both the parents shall not be considered as wholly dependent on the officer;'.
- 3. In regulation 4 of the said regulations, for sub regulation (6), the following sub-regulations shall be inserted, namely-
  - "(6) With effect from the 1st November, 2012, the scales of pay specified against each grade shall be as under:
  - (a) Top Executive Grade

Scale VII = Rs. 76520 - 2120/4 - 85000

Scale VI = Rs. 68680 - 1960/4 - 76520

(b) Senior Management Grade

Scale V = Rs. 59170 - 1650/2 - 62470 - 1800/2 - 66070

Scale IV = Rs. 50030-1460/4-55870-1650/2-59170

(c) Middle Management Grade

Scale III = Rs. 42020 - 1310/5 - 48570 - 1460/2 - 51490

Scale II = Rs. 31705 - 1145/1 - 32850 - 1310/10 - 45950

(d) Junior Management Grade

Scale I = 23700- 980/7- 30560- 1145/2- 32850- 1310/7-42020

**Explanation.-** Every officer who is governed by the scales of pay as in force as on 31st October, 2012 shall be fitted in the scale of pay set out as in this sub- regulation as on 1st November, 2012 on stage to stage basis, i.e. on corresponding stages from first stage onwards in the respective scales and the increments shall fall on the anniversary date as usual.

- (7) Nothing in sub-regulations (1), (2), (3), (4), (5) and (6) shall be construed as requiring the Bank to have at all times, officers serving in all these grades.".
- (8) With effect from 1<sup>st</sup> Day of November, 2012,, officers shall be paid Special Allowance as under:

Scale I-III =7.75% of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale IV-V =10% of Basic Pay + applicable Dearness Allowance thereon

Scale VI-VII = 11% of Basic Pay + applicable Dearness Allowance thereon

Provided that nothing in this sub-regulation shall be construed as requiring the Bank to have at all times, officers serving in all these grades.

**Note:** The Special Allowance referred to in sub-regulations (8) with applicable Dearness Allowance thereon shall not be reckoned for superannuation benefits, such as pension including New Pension Scheme, Provident Fund and Gratuity.".

- 4. In regulation 5 of the said regulations, -
  - (i) for sub-regulation (l), the following sub-regulation, shall be substituted, namely: \_
    - "(1) Subject to the provisions of sub-regulation (6) of regulation 4, on and from the 1<sup>st</sup> day of November, 2012, the increments shall be granted subject to the following, namely: -
    - (a) The increments specified in the scales of pay set out in sub-regulation (6) of regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due;
    - (b) one year after reaching the maximum in their respective scales, officers in Scale I and Scale II, shall be granted further increments including stagnation increment in the next higher scale only as specified in clause (c) below subject to their crossing the efficiency bar;
    - (c) officers in Junior Management Grade Scale I who have moved to Middle Management Grade Scale II in terms of clause (b) after reaching maximum of higher scale shall be eligible for four stagnation increments for every three completed years of service of which the first two shall be Rs.1310/- each and next two Rs.1460/- each;
    - (d) Officers in Middle Management Grade Scale II who have moved to scale of pay for Middle Management Grade Scale III in terms of clause (b) after reaching maximum of higher scale shall be eligible for three stagnation increments of Rs. 1460/- each for every three completed years of service and a fourth stagnation increment of Rs. 1460/- two years after receipt of third stagnation increment.

Provided that officers who have completed two years or more after receipt of the third stagnation increment shall be granted the fourth stagnation increment with effect from 1<sup>st</sup> day of May, 2015;

(e) Officers in substantive Middle Management Grade Scale III (those recruited in or promoted to Middle Management Grade Scale III) shall be eligible for three stagnation increments of Rs.1460/- each for every three completed years of service and fourth stagnation increment of Rs.1460/- to officers who have completed two years or more after releasing third stagnation

increment as on 1<sup>st</sup> May 2015 and a fifth stagnation increment of Rs. 1460/- two years after receipt of fourth stagnation increment provided that the officers who have completed two years after receipt of the fourth stagnation increment shall be granted the fifth stagnation increment with effect from 1<sup>st</sup> May 2015.

(f) Officers in Senior Management Grade Scale-IV shall be eligible for one stagnation increment of Rs.1650/- three years after reaching the maximum of scale with effect from 1<sup>st</sup> May 2015.

Provided that such increment shall not be allowed to an officer who refuses promotion when offered.

Explanation- Grant of such increments in the next higher scale under this sub-regulation shall not amount to promotion and the privileges, perquisites, duties and responsibilities of the officers shall continue as of their substantive posts.";

- (ii) in sub-regulation (2), in the Explanation, after clause (f) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely:-
  - "(g) On and from the 1st day of November, 2012, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Pay shall stand revised as specified in the table below:-

### **TABLE**

| (1)  | (2)  |  |  |
|--|--|--|--|
| Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers — Part I | (i) Rs.670 per month one year after reaching maximum of the Scale.   |  |  |
| Those who have passed both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers   | <ul> <li>(iv) Rs.670 per month, one year after reaching maximum of the Scale.</li> <li>(v) Rs. 1680 per month, two years after reaching maximum of the Scale;</li> </ul> |  |  |

Provided that an officer acquiring Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers(either or both parts) qualifications after reaching the maximum of the scale of pay, shall be granted from the date of acquiring such qualification, the first instalment of Professional Qualification Pay and the release of subsequent instalments of Professional Qualification Pay shall be with reference to the date of release of first instalment of Professional Qualification Pay.";

(iii) in sub-regulation (3),-after the table under clause (e), the following clause shall be inserted, namely:-

"(f) On and from the 1st November,2012, other things being equal, Fixed Personal Pay together with House Rent Allowance shall be at the following rates and shall remain frozen for the entire period of service:

**TABLE** 

| Increment<br>Component<br>(Rs.) | Dearness Allowance as on 01.11.2012<br>on the increment components<br>(Rs.) | Total Fixed Personal Pay payable where bank's accommodation is provided (Rs.) |
|---------------------------------|---|---|
| (1)                             | (2)   | (3)   |
| 1310                            | 143   | 1453  |
| 1460                            | 159   | 1619  |
| 1650                            | 180   | 1830  |
| 1800                            | 196   | 1996  |
| 1960                            | 214   | 2174  |
| 2120                            | 231   | 2351  |

### Note:

- (i) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as indicated under column (3) in clauses (b), (c), (d), (e) and (f) shall be payable to those officer employees who are provided with bank's accommodation.
- (ii) Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay for officers eligible for House Rent Allowance shall be aggregate amount specified under columns (1) and (2) of the table under clause (f) and House Rent Allowance drawn by the concerned officer employees when the last increment of the relevant scale of pay as specified in sub-regulation (2), (3), (4), (5) and (6) of Regulation 4 is earned.
- (iii) Only officers who were in the service of the bank on or before 1<sup>st</sup> November, 1993 will be eligible for Fixed Personal Pay one year after reaching the maximum scale of pay they are placed.
- (iv) On and from 1st November, 1999 there shall be no change in the schedule of release of Professional Qualification Pay as in Explanation (c) of sub-regulation (2) on account of release of Fixed Personal Pay.
  - Provided that where any instalment of Professional Qualification Pay which on account of the earlier provisions has been shifted by a year and is scheduled for release on or after to 1st November, 1999 it shall be released to the officer on and from this date and second instalment of Professional Qualification Pay. if any, shall be released on 1st November, 2000.
- (v) The increment component of Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay shall rank for superannuation benefits.
- (vi) An officer who has earned the advance increment as in clause (a) above shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay as mentioned in (b), (c), (d), (e) or (f) above, one year after reaching the maximum of the scale."
- 5. In regulation 21 of the said regulations, after sub-regulation (5), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-
  - "(6) On and from the 1<sup>st</sup> day of November, 2012, dearness allowance shall be payable for every rise or fall of four points over 4440 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100 at 0.10% of Pay.

Explanation.- For the purposes of this sub-regulation,-

- (a) "pay" for the purpose of Dearness Allowance shall mean basic pay including Stagnation Increments plus Special Allowance;
- (b) Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay as specified in Explanations (c), (d), (e), (f) and (g) to sub-regulation (2) of regulation 5 shall rank for dearness allowance".
- 6. In regulation 22 of the said regulations,-
  - (i) for sub-regulation(l), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-
    - "(1) On and from the 1<sup>st</sup> day of November, 2012,
    - (a) where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 0.75per cent of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, shall be recovered from him;
    - (b) where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the rates specified in the following table, namely:

### **TABLE**

|       | Place of work   | House Rent Allowance |
|-------|---|----------------------|
|       | (1)   | (2)                  |
| (i)   | Major "A" Class Cities and Project Area Centres in Group A                  | 9.0% of Pay          |
| (ii)  | Other places in Area I and Project Area Centres in Group B and State of Goa | 8.0% of Pay          |
| (iii) | Other places  | 7.0% of Pay:         |

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for the residential accommodation in excess over 0.75per cent of pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed with a maximum of 150per cent of the House Rent Allowance payable as per aforesaid rates mentioned in column (2) of the above table.

**NOTE.-** The claims of officers for House Rent Allowance linked to the cost of their ownership accommodation shall also be restricted to 150 per cent of House Rent Allowance as hitherto.".

- 7. In regulation 23 of the said regulations,-
  - (A) for sub-regulation (l), (2), (3), (4) and (5), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

| Places |  | Rate   |  |
|--------|--|--|--|
|        | (1)  | (2)  |  |
| i)     | Places in Area 1 and in the State of Goa   | 4% of basic pay subject to a maximum of Rs.870 per month   |  |
| ii)    | Places with population of five lakhs and over and<br>State Capitals and Chandigarh, Puducherry and Port<br>Blair | 3% of basic pay subject to a maximum of Rs.600 per month"; |  |

- "(1) On and from 1<sup>st</sup> day of November, 2012, if an officer is serving in a place mentioned in column (1) of the Table below, a City Compensatory Allowance at the rate mentioned in column (2) thereof against that place shall be payable:-
- (2) On and from the 1<sup>st</sup> day of November, 2012, the rates of special areas allowances shall be as specified in the Schedule to these regulations.
- (3) On and from the 1<sup>st</sup> day of November, 2012, if an officer is serving in an area to be specified as Project Area falling in Group A or Group B, he shall be eligible for a Project Area Compensatory Allowance at the rate of Rs.400 per month or Rs.350 per month according to the classification of area as Group A or Group B respectively.
- (4) On and from the 1<sup>st</sup> day of June 2015, if an officer is transferred from one place to another in the midst of an academic year and if he has one or more children studying in school or college, in the former place, he shall be eligible for a mid-academic year transfer allowance of Rs.1100 per month from the date he reports to the latter place upto the end of the academic year in respect of all the children, provided that such allowance shall cease if all the children cease studying at the former place.
- (5) On and from the 1<sup>st</sup> day of June 2015, if an officer is deputed to serve outside the Bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed, or he may in addition to his pay, draw a deputation allowance at the rate of 7.75per cent of pay

subject to a maximum Rs.4000 per month and such other allowances he would have drawn had he been posted in the Bank's service at that place:

Provided that where he is deputed to an organisation which is located at the same place where he was posted immediately prior to his deputation, he shall receive a deputation allowance equal to 4per cent of his pay subject to a maximum Rs.2000 per month:

Provided further that, an officer on deputation to the Training Establishment of the Bank as a faculty member shall be eligible for deputation allowance at the rate of 4per cent of his pay subject to a maximum Rs.2000per month.";

- (B) for sub-regulation (8), the following sub-regulation shall be substituted. namely:-
- "(8) on and from the 1<sup>st</sup> day of November 2012, if the working hours during a day are split with minimum interval of two hours, an officer shall be eligible for a Split Duty Allowance at the rate of Rs.200 per month.";
- (C) in sub-regulation (10),-
- (a) for the figures, letters and words "1st day of November 2007", the figures, letters and words "1st day of November, 2012" shall be substituted;
- (b) for the table, the following table shall be substituted, namely:-

# "TABLE

| Place  | Rate   |
|--|--|
| (1)  | (2)  |
| (i) Place with an altitude of 1000 metres and above but less than 1500 metres and Mercara Town | 2% of pay subject to a maximum of Rs. 750 per month    |
| (ii) Place with an altitude of 1500 metres and above but less than 3000 metres                 | 2.5% of pay subject to a maximum of Rs.1000 per month  |
| (iii) Place with an altitude of 3000 metres and above  | 5% of pay subject to a maximum of Rs. 2000 per month"; |

- 8. In regulation 24 of the said regulations, -
  - (i) in sub-regulation (l), the following sub-regulations shall be substituted, namely:-
    - "(1) On and from the 1<sup>st</sup> day of November 2012, an officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses for self and family on the strength of the officer's own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed as specified in the table below, namely:-

**TABLE** 

| Grade   | Maximum limit of reimbursement                               |  |
|---|--|--|
| (1)   | (2)  |  |
| Junior Management and Middle Management Grade | Rs.8000/- per annum or the amount incurred whichever is less |  |
| Senior Management and Top Executive Grade     | Rs.9050/- per annum or the amount incurred whichever is less |  |

- Note. (i) an officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above or;
  - (ii) for the year 2012, the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for two months. that is, November 2012 and December, 2012.
  - (1A) An Officer shall be eligible for Medical Insurance facility for self and his family, as per terms and conditions specified by the Board.
- 9. In regulation 25 of the said regulations, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-
  - "(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation(l), it shall be open to the Bank to provide residential accommodation to an officer on payment by the officer, on and from the 1st day of November, 2012, a sum equal to 0.75per cent, of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less:

Provided that where the officer is provided with furniture at such residence. a further sum equal to 0.15per cent of basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed shall be recovered by the Bank from him:

Provided further that, where such residential accommodation is provided by the bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer."

- 10. In regulation 33 of the said regulations, for sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-
  - "(4) On or from 1<sup>st</sup> June, 2015, Privilege Leave may be accumulated up to not more than two hundred and seventy days except where leave has been applied and it has been refused.

Provided that encashment of Privilege Leave shall be restricted up to a maximum of two hundred and forty days.

Provided further that an officer desiring to avail privilege leave shall ordinarily give not less than fifteen days' notice of his intention to avail of such leave."

- 11. In regulation 34 of the said regulations, after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-.
  - "(4) On and from 1<sup>st</sup> June, 2015, Special Sick Leave up to thirty days may be granted to an officer employee once during his/her entire period of service for donation of kidney or organ."
- 12. In regulation 36 of the said regulations, for sub-regulation (2) and (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-
  - "(2) With effect from the 25th May 2015, leave may also be granted once during service to a childless female officer for legally adopting a child who is below one year of age for a maximum period of six months subject to the following terms and conditions: -
  - (i) leave will be granted for adoption of only one child.
  - (ii) The adoption of a child shall be through a proper legal process and the officer shall produce the adoption deed to the Bank for sanctioning such leave.
  - (iii) The leave shall also be available to biological mother in cases where the child is born through surrogacy; and
  - (iv) The leave shall be availed within overall entitlement of twelve months during the entire period of service."
- (3) With effect from the 25<sup>th</sup> day of May 2015, within the overall period of twelve months, leave may also be granted in case of hysterectomy upto a maximum of sixty days.
- (4) Maternity leave, which shall be on substantive pay, shall be granted to a female officer for a period not exceeding six months on any one occasion and twelve months during the entire period of her service.

Provided that within the overall period of twelve months, leave may also be granted in case of miscarriage or abortion or Medical Termination of Pregnancy.

(5) With effect from 1<sup>st</sup> June 2015 male officers having up to two surviving children shall be eligible for fifteen days **paternity leave** during his wife's confinement which may be combined with any other kind of leave except casual leave.

Provided that the leave shall be applied upto fifteen days before or up to six months from the date of delivery of the child.".

- 13. For regulation 38 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:-
  - "(38). Lapse of leave Save as provided below, all leave to the credit of an officer shall lapse on resignation, retirement, death, discharge, dismissal or termination:

Provided that where an officer retires from the Bank's service, he shall be eligible to be paid a sum equivalent to the emoluments of any period, not exceeding two hundred and forty days of privilege leave that he had accumulated.

Provided further that where an officer has been compulsorily retired including as a measure of punishment, he shall be eligible to be paid a sum equivalent to emoluments of any period, not exceeding two hundred forty days of privilege leave that he has accumulated.

Provided also that where an officer dies while in service. there shall be payable to his legal representatives, a sum equivalent to the emoluments for the period not exceeding two hundred and forty days of privilege leave to his credit as on the date of his death.

Provided also that where an officer resigns from service on or after 1<sup>st</sup> April, 2001 after giving due notice as in sub-regulation (2) of regulation 20 he may be paid a sum equivalent to the emoluments in respect of privilege leave to the extent of half of such leave to his credit on the date of cessation of service, subject to a maximum of one hundred and twenty days."

- 14. In regulation 41 of the said regulations,-
  - (i) for sub-regulation (1), the following sub regulation shall be substituted, namely:-
    - "(1) On and from 1<sup>st</sup> day of November 2012, wherever an officer is required to travel on duty, the following provisions shall apply, namely:-
    - (a) An officer in Junior Management Grade is entitled to travel by 1<sup>st</sup> class or AC 2- tier sleeper by train:

Provided that he may travel by air (economy class) if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest;

(b) An officer in middle management Grade is entitled to travel by 1<sup>st</sup> class or AC 2-tier sleeper by train:

Provided that he may travel by air (economy class) if the distance to be travelled is more than 1000 kilometres:

Provided further that he may travel by air (economy class) even for shorter distance if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business of public interest;

- (c) An officer in Senior Management or Top Executive Grade is entitled to travel by AC 1<sup>st</sup> class by train or by air (economy class);
- (d) An officer in Senior Management or Top Executive Grade may travel by car between places not connected by air or rail provided that the distance does not exceed 500 kilometres:

Provided that when a major part of the distance between the two places can be covered by air or rail only the rest of the distance should normally be covered by car;

(e) Any other officer may be authorised by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business, to travel by his own vehicle or by taxi or by the Banks vehicle;

- (f) An officer of any grade or scale shall be eligible to travel by water transport in deluxe cabin category between places not connected by road or air or rail.";
- (ii) in sub-regulation (4), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-
  - "(a) On and from the 1st day of June, 2015, an officer in the Grades or Scales set out in column (1) of the table below shall be entitled to 'per diem' Halting Allowance at the corresponding rates set out in column (2) thereof, namely:-

### **TABLE**

| Grade/Scales of Officers       | Metro (Rs.) | Major 'A' Class<br>Citites (Rs.) | Area-1 (Rs.) | Other Places (Rs.) |
|--------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| (1)                            |             |                                  | (2)          |                    |
| Officers in Scale VI & above   | 1800        | 1300                             | 1100         | 950                |
| Officers in Scale IV & V above | 1500        | 1300                             | 1100         | 950                |
| Officers in Scale I/II/III     | 1300        | 1100                             | 950          | 800                |

Provided that where the total period of absence is less than eight hours but more than four hours, Halting Allowance at half the above rates shall be payable.

**Explanation.-** For the purposes of computing Halting allowance, "per diem" shall mean each period of twenty-four hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival and where the total period of absence is less than twenty-four hours, "per diem" shall mean a period of not less than eight hours."

- 15. In regulation 42 of the said regulations, for sub-regulation (3), the following sub- regulation shall be substituted, namely:-
  - "(3) On and from the first day of June 2015, an officer on transfer shall be eligible to draw a lump sum amount for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage, etc., as specified in the table below, namely:-

"TABLE

| Grade/Scale  | Lump Sum      |
|--|---------------|
| (1)  | (2)           |
| Top Executive and Senior Management (Officers in Scale IV and above) | Rs.20,000/-   |
| Middle Management and Junior Management (Officers upto Scale III)    | Rs. 15,000/-" |

- 16. In regulation 44 of the said regulations, for sub-regulation (3), the following sub- regulation shall be substituted, namely:-
  - "(3) During each block of four years, an officer shall be eligible for leave travel concession for travel to his place of domicile once in each block of two years.

Provided that, he may travel in one block of two years to his place of domicile and in another block of two years to any place in India by the shortest route.

Provided further that with effect from 1st June 2015, alternatively, an officer, by exercising an option anytime during a four year block or two year block, as the case may be, surrender and encash his LTC (other than travel to place of domicile) upon which he shall be entitled to receive an amount equivalent to

the eligible fare for the class of travel by train to which he is entitled up to a distance of 4500 kilometres (one way) for officers in JMG-Scale-I and MMG — Scale II and III and 5500 kilometres (one way) for officers in SMG-Scale IV and above.

Provided that with effect from 1st June 2015, an officer opting to encash his LTC shall prefer the claim for himself and his family members only once during the block or term in which such encashment is availed of and the facility of encashment of privilege leave while availing of Leave Fare Concession is also available while encashing the facility of Leave Travel Concession.

(3A) The mode and class by which an officer may avail of Leave Travel Concession shall be the same as the officer is normally entitled to travel on transfer and other terms and conditions subject to which the Leave Travel Concession may be availed of by an officer, shall be as decided by the Board from time-to-time.

Provided that w.e.f. 1st May 2010 an officer in Junior Management Grade Scale I while availing LTC shall be entitled to travel by air in the lowest fare economy class in which case the reimbursement will be the actual fare or the fare applicable to AC 1<sup>st</sup> Class fare by train for the distance travelled whichever is less and the same rules shall apply when an officer in Middle Management Grade Scale II and Middle Management Grade Scale III while availing Leave Travel Concession where the distance is less than 1000 kilometres."

17. For the Schedule to the said regulations, the following Schedule shall be substituted, namely,:-

### "SCHEDULE

# [See regulation 23(2)]

With effect from the 1st day of November, 2012, an officer shall be eligible for the Special Area Allowance till such time they are withdrawn or modified either wholly or partially, as specified in the table below, namely:-

|        |  | Allowances (Rs.)         |                          |  |
|--------|--|--------------------------|--------------------------|--|
| Sr.No. | Area   | Pay below<br>Rs.24,000/- | Pay above<br>Rs.24,000/- |  |
| (1)    | (2)  | (3)                      | (4)                      |  |
| 1.     | Mizoram  (a) Chimptuipui District and areas beyond 25 kms. from Lunglei Town in Lunglei District.              | 2000                     | 2600                     |  |
|        | (b) Entire Lunglei District excluding areas beyond 25 kms. from Lunglei town.                                  | 1600                     | 2100                     |  |
|        | (c) Entire Aizawl District   | 1200                     | 1500                     |  |
| 2.     | Nagaland   | 1600                     | 2100                     |  |
| 3.     | Andaman and Nicobar Islands  (a) North Andaman, Middle Andamans, Little Andaman, Nicobar and Narcondum Islands | 2000                     | 2600                     |  |
|        | (b) South Andaman (including Port Blair)   | 1600                     | 2100                     |  |
| 4.     | Sikkim   | 2000                     | 2600                     |  |
| 5.     | Lakshadweep Islands  | 2000                     | 2600                     |  |
| 6.     | Assam  | 320                      | 400                      |  |

| 7.  | Meghalaya  | 320  | 400  |
|-----|--|------|------|
| 8.  | Tripura  (a) Difficult areas of Tripura  |      | 2100 |
|     | (b) Throughout Tripura except difficult areas.   | 1200 | 1500 |
| 9.  | Manipur  | 1200 | 1500 |
| 10. | Arunachal Pradesh  (b) Difficult areas of Arunachal Pradesh  | 2000 | 2600 |
|     | (c) Throughout Arunachal Pradesh other than difficult areas.   | 1600 | 2100 |
| 11. | 1. Jammu & Kashmir  (1) Kathua District:  Niabat Bani, Lohi, Malhar and Machhodi   | 2000 | 2600 |
|     | <ul><li>(2) Udhampur District:</li><li>(a) Dudu Basantgarh, Lander Bhamag Illaqa, other than those included in Part 2(b).</li></ul>  | 2000 | 2600 |
|     | (b) Areas upto Goel from Kamban Side and areas upto<br>Arnas from Keasi side in Tehsil Mohre.  | 1600 | 2100 |
|     | (3) Doda District: Illaquas of Padder and Niabat Nowgam in Kishtwar Tehsil   | 2000 | 2600 |
|     | (4) Leh District : All places in the District  | 2000 | 2600 |
|     | <ul><li>(5) Barmulla District</li><li>(a) Entire Gurez-Nirabat, Tangdar Sub-Division and Keran Illaqua</li></ul>   | 2000 | 2600 |
|     | (b) Matchill   | 1600 | 2100 |
|     | (6) Poonch and Rajouri District:  Areas in Poonch and Rajouri District excluding the towns of Poonch and Rajouri and Sunderbani and other urban areas in the two Districts   | 1200 | 1500 |
|     | (7) Areas not included in (1) to (6) above, but which are within the distance of 8 kms. from the line of Actual Control or at places which may be declared as qualifying for border allowance from time-to-time by the State Government for their own staff. | 1200 | 1500 |
| 12. | Himachal Pradesh  (1) Chamba District  (a) Pangi Tehsil, Bharmour Tehsil, Panchayats: Badgaun, Bajol, Deol Kugti, Nayagam and Tundah, Villages: Ghatu of Gram Panchayat Jagat, Kanarsi of Gram Panchayat Chauhata  | 2000 | 2600 |
|     | (b) Bharmour Tehsil, excluding Panchayats and Villages included in (a) above.  | 1600 | 2100 |
|     |  |      |      |

[भाग Ⅲ—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 27

| (c) Jhandru Panchayat in Bhatiyat Tehsil, Churah Tehsil, Dalhousie Town (including Banikhet proper).   | 1200 | 1500 |
|--|------|------|
| (2) Kinnaur District:  (a) Asrang, Chitkul and Hango Kuno/ Charang Panchayats,15/ 20 Area comprising the Gram Panchayats of Chhota Khamba, Nathpa and Rupi, Pooh Sub-Division, excluding the Panchayat Areas specified above.  | 2000 | 2600 |
| (b) Entire District other than Areas included in (a) above.  | 1600 | 2100 |
| (3) Kullu District:  (a) 15/20 Area of Nirmand Tehsil, comprising the Gram Panchayats of Kharga, Kushwar and Sarga   | 2000 | 2600 |
| (b) Outer-Saraj (excluding villages of Jakat-Khana and Burrow in Nirmand Tehsil) and entire District excluding outer Seraj area and pargana of Pandrabis but including villages Jagat-Khana and Burrow of Tehsil Nirmand).   | 1200 | 1500 |
| (4) Lahaul and Spiti District : Entire area of Lahaul and Spiti  | 2000 | 2600 |
| <ul><li>(5) Shimla District:</li><li>(a) 15/20 area of Rampur Tehsil comprising of Panchayats of Koot, Labana-Sadana, Sarpara and Chadi-Branda.</li></ul>  | 2000 | 2600 |
| (b) Dora-Kawar Tehsil, Gram Panchayat of Darkali in Rampur,<br>Kashapath Tehsil and Munish, Ghori Chaibis of Pargana<br>Sarahan.   | 1600 | 2100 |
| (c) Chopal Tehsil and Ghoris, Panjgaon, Patsnau, Naubis and Teen Koti of Pargana Sarahan, Deothi Gram Panchayat of Taklesh Area, Pargana Barabis, Kasba Rampur and Ghori Nog of Pargana Rampur of Rampur Tehsil, Simla Town and its suburbs (Dhalli, Jatog, Kasumpti, Mashobra, Taradevi and Tutu).  | 1200 | 1500 |
| <ul><li>(6) Kangra District:</li><li>(a) Areas of Bara Bhangal and Chhota Bhangal</li></ul>  | 1600 | 2100 |
| (b) Dharamshala Town of Kangra District and the following offices located outside the Municipal limits but included in Dharamshala Town-Women's ITI, Dari, Mechanical Workshop, Ramnagar, Child Welfare and Town and Country Planning Offices, Sakoh, CRSF Office at lower Sakoh, Kangra Milk Supply Scheme, Dugiar, HRTC Workshop, Sadher, Zonal Malaria Office, Dari, Forest Corporation Office, Shamnagar, Tea Factory, Dari, I.P.H. Sub-Division, Dan, Settlement Office, Shamnagar, Hinwa Project, Shamnagar.Palampur Town of Kangra District including HPKVV Campus at Palampur and the following offices located outside its municipal limits but included in Palampur Town – H.P. Krishi Vishwavidhalaya Campus, Cattle Development Office/Jersey Farm, Banuri, Sericulture Office/Indo-German Agriculture Workshop/HPPWD Division, Bundla, Electrical Sub-Division, Lohna, D.P.O. Corporation, Bundla, Electrical | 1200 | 1500 |

|     | HESEE Division, Ghuggar.   |      |      |
|-----|--|------|------|
|     | (7) Mandi District: Chhuhar Valley of Jogindernagar Tehsil, Panchayats in thunag Tehsil-of Bagraa, Chatri, Chhotdhar, Garagushain, Gatoo, Garyas, Janjehli, Jaryar, Johar, Kalhani, Kalwan, Kholanal, Loth, Silibagi, Somachan, Thachdhar, Tachi, Thana, Panchayats of Dharampur Block- Binga, Kamlah, Saklana, Tanyar and Tarakholah, Panchayats of Karsog Tehsil – Balidhar, Bagra, Gopalpur, Khajol, Mahog, Mehudi, Manj, Pekhi, Sainj, Sarahan and Teban, Panchayats of Sundernagar Tehsil – Bohi, Batwara, Dhanyara, Paura-Kothi, Seri and Shoja. | 1200 | 1500 |
|     | (8) Sirmaur District: Panchayats of Bani, Bakhali (Pachhad Tehsil), Bharog Bheneri (Paonta Tehsil), Birla (Nahan Tehsil), Dibber (Pachhad Tehsil) and Thana Kasoga (Nahan Tehsil) and Thansgiri Tract  | 1200 | 1500 |
|     | (9) Solan District :<br>Mangal Panchayat.  | 1200 | 1500 |
|     | (10) Remaining areas of Himachal Pradesh not included in (1) to (9) above.   | 320  | 400  |
| 13. | Uttar Pradesh: Areas under Chamoli, Pithoragarh and Uttar Kashi Districts  | 2000 | 2600 |
| 14. | <b>Uttarakhand:</b> Areas under Chamoli, Pithoragarh, Uttarkashi, Rudraprayag and Champavat Districts  | 2000 | 2600 |

R. K. PRADHAN, GENERAL MANAGER
[ADVT.-III/4/Exty./646/2021-22]

**Note:** The amendment regulations were published in the Gazette of India, part III, section 4 vide following notifications, namely:-

| S No. | Notification Number | Dated      | Gazette Publication date | Date metioned in OSR |
|-------|---------------------|------------|--------------------------|----------------------|
| 1     | 31/SUP/97           | 12.01.1988 | 13.02.1988               | 12.01.1988           |
| 2     | 31/SUP/861          | 07.05.1988 | 28.05.1988               | 07.05.1988           |
| 3     | 31/SUP/2139         | 29.07.1988 | 22.10.1988               | 29.09.1988           |
| 4     | PAD/177/3/88        | 09.12.1989 | 30.12.1989               | 09.12.1989           |
| 5     | PAD/177/1/89        | 09.12.1989 | 30.12.1989               | 09.12.1989           |
| 6     | PAD/177             | 05.03.1994 | 09.04.1994               | 05.03.1994           |
| 7     | PAD/177             | 21.07.1995 | 28.10.1995               | 21.07.1995           |
| 8     | PAD/177             | 17.08.1996 | 09.11.1996               | 17.08.1996           |
| 9     | PAD/177             | 19.11.1996 | 07.12.1996               | 19.11.1996           |
| 10    | PAD/177             | 12.05.1999 | 12.06.1999               | 12.05.1999           |

| 11 | PAD/SUP/177      | 09.09.1999 | 09.10.1999<br>16.10.1999 | 14.10.1999 |
|----|------------------|------------|--------------------------|------------|
| 12 | PAD/SUP/177      | 22.05.2000 | 17.06.2000               | 17.06.2000 |
| 13 | PAD/SUP/177      | 28.08.2001 | 08.09.2001               | 08.09.2001 |
| 14 | PAD/SUP/177      | 29.11.2002 | 21.12.2002               | 21.12.2002 |
| 15 | PAD/SUP/177/49   | 10.05.2006 | 08.06.2006               | 08.06.2006 |
| 16 | PAD/SUP/177      | 25.03.2008 | 05.04.2008               | 05.04.2008 |
| 17 | HRMD/SUP/177/001 | 28.03.2019 | 08.02.2021               | 28.03.2019 |
| 18 | HRMD/SUP/177/002 | 28.03.2019 | 08.02.2021               | 28.03.2019 |